

(22)

अंगण अफेयरी जीविन्दपुर का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 182 (V) 2018-19,

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

2-4-18-

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2208/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-814/रा0, दिनांक-09.12.1988 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जानदीयों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरण की भूमि :-

मौजा- तकजोरा थाना- 141 खाता संख्या- 42 प्लॉट संख्या- 2 एकड़- 0.46 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 01 के पृष्ठ संख्या- 63 पर जमाबंदी रैयत सागर राम सांजुमिता लक्ष्मी साहू एवं अन्य के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपयुक्त उपर्युक्त विवरण की भूमि के विरुद्ध कायम/जमाबंदी को अविधेय प्रतिवेदित किया गया है।


हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अविधेय बंदोबस्ती के आधार पर/ अविधेय कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अविधेय लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरण की जमीन की सृजित जमाबंदी अविधेय प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अविधेय मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 11.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी

दिनांक

आदेश फलक

11.4.18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस ताभिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख दिनांक 16.4.18 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर
16/4/18

16.4.18

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। गौजा ~~देरपुरा~~ थाना सं० 141, खाता सं० 42, प्लॉट सं० कुल रकवा- 0.46 जो जमाबंदी संख्या- 63 में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०- 63 को रद्द करने हेतू जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतू भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर
16/4/18

अभिलेख आज उपस्थापित / अंचल अधिकारी 21/12/18 के पत्रांक
598 दिनांक 16/4/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना
पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 11/5/18 को प्रस्तुत
करे।

11/5/18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
धनबाद।
12/6/18

20/6/2018